रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102023-249287
CG-DL-E-10102023-249287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2023/आश्विन 18, 1945
No. 575] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2023/ASVINA 18, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 728(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii), उपधारा (5) के खंड (ग) और उपधारा (6क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 114ख में,-

(क) दूसरे परन्तुक में, “परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा: —

“परन्तु यह भी कि एक विदेश कंपनी,—

(i) जिसके पास भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है; और

(ii) जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है,

और जो आईएफएससी बैंककारी इकाई में सारणी की क्र. सं. 2 या 12 में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार करती है, प्ररूप सं. 60 में घोषणा करेगी:”;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (1) को खंड (1क) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्याकित उक्त खंड से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(1) “आईएफएससी बैंककारी इकाई" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिभाषित, वित्तीय संख्या अभिप्रेत है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण द्वारा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई है;”;

3. मूल नियमों के नियम 114खक के, अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु इस नियम के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार नकद से भिन्न माध्यम से किसी रकम का निक्षेप या आहरण करने वाला या चालू खाता, जो इस नियम के खंड (ग) के अनुसार नकद जमा खाता नहीं है, खोलने वाला व्यक्ति अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है;

(ख) आईएफएससी बैंककारी इकाई के साथ संव्यवहार किया जाता है; और

(ग) ऐसे अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है, की भारत में कोई कर से प्रभार्य आय नहीं है ।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए “आईएफएससी बैंककारी इकाई" का वहीं अर्थ होगा, जो उसका नियम 114ख के स्पष्टीकरण के खंड (1) में है ।”;

4. मूल नियमों के नियम 114खख में**,** परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा**,** अर्थात्**:—**

“परन्तु इस नियम के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) स्तंभ (2) की क्र. सं. 1 या क्र. सं. 2 के अनुसार नकद से भिन्न माध्यम से किसी रकम का निक्षेप या आहरण करने वाला या चालू खाता, जो इस नियम के स्तंभ (2) की क्र. सं. 3 के अनुसार नकद जमा खाता नहीं है, खोलने वाला व्यक्ति अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है ;

(ख) आईएफएससी बैंककारी इकाई के साथ संव्यवहार किया जाता है; और

(ग) ऐसे अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है, की भारत में कोई कर से प्रभार्य आय नहीं है ।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए “आईएफएससी बैंककारी इकाई" का वहीं अर्थ होगा, जो उसका नियम 114ख के स्पष्टीकरण के खंड (1) में है ।”;

5. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 60 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“प्ररूप सं. 60

[नियम 114ख का दूसरा परंतुक देखिए]

किसी व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा या नियम 114ख के तीसरे परंतुक में समाविष्ट विदेशी कंपनी द्वारा फाइल किए जाने वाला घोषणा का प्ररूप, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार करता है

1	प्रथम नाम		2	घोषणा करने वाले की जन्म/निगमन की तारीख						
	मध्य नाम			D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
	उपनाम									

3	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)	प्रथम नाम	
	मध्य नाम		
	उपनाम		

4	फ़्लैट/कमरा नं.	5	तल सं.
6	परिसर का नाम	7	ब्लॉक का नाम/सं.
8	सड़क/गली/लेन	9	क्षेत्र/परिक्षेत्र

10	नगर/शहर	11	जिला	12	राज्य
13	पिन कूट	14	टेलीफोन सं. (एसटीडी कूट सहित)	15	मोबाइल नंबर

16	निवास के देश में करदाता पहचान संख्या (यदि तीसरे परन्तुक द्वारा समाविष्ट किया गया हो)	

17	संव्यवहार की रकम (रु0)							19	संयुक्त नाम से संव्यवहार होने की दशा में, संव्यवहार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	
18	संव्यवहार की तारीख	D	D	M	M	Y	Y			

20	संव्यवहार का प्रकार: · नकद, · चैक, · कार्ड, · ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, · ऑनलाइन अंतरण, · अन्य

21	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध)	

22	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया है और वह अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीख और अभिस्वीकृति संख्या	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

23	यदि स्थायी लेखा संख्या आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में संव्यवहार किया गया है उसकी कुल अनुमानित आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अधीन पति/पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) भरी जाएगी।			
	क	कृषि आय (रु.)		
	ख	कृषि से अतिरिक्त आय (रु.)		
	ग	i	कर से प्रभार्य आय (विदेशी कंपनी के लिए)	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ii</td><td>कर से अप्रभार्य आय (विदेशी कंपनी के लिए)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td colspan="3">स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)</td><td colspan="2">दस्तावेज़ कूट</td><td colspan="3">दस्तावेज़ पहचान संख्या</td><td colspan="5">दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता</td></tr>
<tr><td>25</td><td colspan="3">स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)</td><td colspan="2">दस्तावेज़ कूट</td><td colspan="3">दस्तावेज़ पहचान संख्या</td><td colspan="5">दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता</td></tr>
</table>

सत्यापन

मैं, __________________________, श्री _____________________ का पुत्र/पुत्री/पत्नी** सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हो, में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और उसमें दर्शाए गए विवरण सही हैं।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे/आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, और

(i) मेरी/हमारी/आवेदक की अनुमानित कुल आय (जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बालक, आदि की आय भी है) की गणना उस वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार की गई है जिसमें उपरोक्त संव्यवहार कर योग्य अधिकतम रकम से कम होगा, या

(ii) आवेदक एक विदेशी कंपनी है जो नियम 114ख के तीसरे परन्तुक के अधीन आती है और उसकी भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन ___________________ के लिए _________ (पदनाम) की हैसियत से कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। [यदि लागू हो]

आज, _____ 20 _______ को सत्यापित किया गया।

स्थान ___________

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पण:

1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही है, सत्य है और सभी पहलुओं में पूर्ण । यदि घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर,--

(i) यदि अपवंचन किया गया कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना से;

(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्मानें से, दंडनीय होगा ।

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां,-

(i) मद 23ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, जब तक कि पैन के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और स्तंभ 22 सम्यक रूप से विधिवत नहीं भरा जाता है;

(ii) किसी विदेशी कंपनी की दशा में मद 23ग(i) में दर्शाई गई आय, कर से प्रभार्य है।

3. दस्तावेज़ जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद 21 भरा गया है तो आवश्यक नहीं है):-

क्र.सं.	**दस्तावेज़ की प्रकृति**	**दस्तावेज़ कूट**	**पहचान का प्रमाण**	**पते का प्रमाण**
क. व्यक्तियों और हिन्दु कुटुंब के लिए				
1.	आधार कार्ड	01	हां	हां
2.	बैंक/डाकघर की पासबुक, जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
3.	निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो ।	04	हां	हां
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
6.	पासपोर्ट	06	हां	हां
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
9.	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां
10.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र	10	हां	हां
11.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
13.	हथियार लाइसेंस	13	हां	नहीं
14.	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
15.	सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
16.	बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18.	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
19.	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाईप का बिल बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20.	बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22.	डिपॉजिटरी खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23.	संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़	23	नहीं	हां
24.	सरकारी आवास का आबंटन पत्र	24	नहीं	हां
25.	पति-पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
26.	संपत्ति कर संदाय रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख. व्यक्तियों के संगम (न्यास)				
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र	27	हां	हां
ग. व्यक्तियों के संगम (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति				

	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य दस्तावेज	**28**	हां	हां
घ. एक विदेशी कंपनी के लिए				
1.	उस देश में, जहां आवेदक स्थित है, जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण या निगमन प्रमाणपत्र की प्रति, जो आईएफएससी बैंककारी इकाई के प्राधिकृत पदधारियों द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित	**29**	हां	हां
2.	उस देश में, जहां आवेदक स्थित है, जारी की गई कर पहचान संख्या की प्रति, जो आईएफएससी बैंकिंग इकाई के प्राधिकृत पदधारियों द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित	**30**	हां	हां (यदि पता उसी में उल्लिखित है)

4. किसी अवयस्क के नाम पर संव्यवहार की दशा में, ऐसे अवयस्क के माता-पिता/संरक्षकों में से किसी की पहचान और पते के सबूत के रूप में उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी को भी अवयस्क की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ।

5. हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के नाम पर कोई भी दस्तावेज आवश्यक है।

6. संव्यवहार एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की दशा में, कुल व्यक्तियों की संख्या क्रमांक 19 में उल्लिखित की जानी चाहिए और संव्यवहार की कुल रकम क्र. सं. 17 में भरी जानी चाहिए ।

स्तंभ 23 ख में प्राकल्लित कुल रकम किसी व्यक्ति को प्रभार्य कर की अधिकतम रकम से अधिक है, व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद 22 भरें और आवेदन के जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करें ।

[अधिसूचना सं. 88/2023 फा. सं. 370142/33/2023-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, अधिसूचना का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 702(अ), तारीख 29 सितंबर, 2023 द्वारा किया गया ।